Date 1/4/19 29/4/20 (1)

ऋणग्रस्तता :
(Indebtedness)

भारतीय जनजातियों के समस्याओं में सम्भवतः ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे कठिन है जिसके कारण जनजातिय लोग साहूकारों के शोषण का शिकार होते हैं ठेकेदारों तथा अन्य लोगों से सीधे सम्पर्क होने के कारण उत्तर-पूर्व के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारतीय जनजातिय संख्या ऋणों के बोझ से दबी हुई है।

इस ऋणग्रस्तता का कारण निर्धनता, दुर्बल, भूखमरी, आर्थिक व्यवस्था। ठेकेदारों तथा अन्य लोगों के द्वारा उनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप के पूर्व ये जनजातिया कितनी इतनी दुर्बल, निर्धन तथा विवश नहीं थी। ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। वन संपदा पर इनका अधिकार था। दुर्भाग्यवश जब आर्थिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत जनजातिय क्षेत्रों में विकास का प्रोग्राम आया तथा इनके क्षेत्र सभी प्रकार के लोगों के लिए खोल दिए गए। तो विकास का लाभ उठाने के लिए ये जनजातिया तैयार नहीं थी। प्रशासन के संगठित प्रयास की अनुपस्थिति में इन बाहरी तथा सभ्य लोगों ने इन जनजातियों की संवेदनशीलता का भरपूर लाभ उठाया, समय के साथ-साथ ये जनजातिया कठिन स्थितियों में पहुँच गई। जिनमें वे आज रह रही है। यद्यपि हमारे पास ऋणग्रस्तता से सम्बन्धित वैज्ञानिक तरीकों से इकट्ठा किए गये आँकड़े बहुत कम है फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह समस्या गंभीर है। जनजातियों में ऋणग्रस्तता के आर्थिक पक्ष के साथ-साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है ये लोग समस्त प्रणाली में प्रसन्नता या शान्तिपूर्ण जीवन की आशा छोड़ चुके है। बहुत से क्षेत्रों में ये जनजातिया लोग ऋणग्रस्तता के ऋणबंधन में विवश होते है तथा यह बन्धन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है अधिकतर जनजातियों में ऋणात्मक

Scanned with CamScanner

Date ___/___/___

होना उसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है सभी जनजातीय समुदाय की ऋणग्रस्तता के कुछ मुख्य कारण है :—

1. भूमि तथा वनों का जनजातीय अधिकारों का हनन।

II. कृषि के पुराने तरीकों के कारण कम उत्पाद

III. विवाह, जन्म, मृत्यु, मेला, उत्सवों में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति।

IV. भाग्यवादी प्रवृत्ति और संकुचित विचारधारा।

V. बिरादरी से निष्कासित किये जाने के भय में जुर्मानों के सम्बन्ध में पंचायत के आदेशों का पालन।

उपरोक्त स्थितियों के कारण जनजातिय लोगों को सदैव ऋण की आवश्यकता रहती है। जिसके कारण यह लोग आसानी से साहूकारों के शोषण का शिकार हो जाते है। समय-समय पर लिये गए ऋण, इनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती है। जो मिलकर ऐसी धनराशि में परिवर्तित हो जाते है जिसे वापस करना इनके सामर्थ्य से परे होता है। जिसके फलस्वरूप इनकी भूमि साहूकारों के चंगुल से ले ली जाती है, "आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम का जनजातिय व्यवस्था पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने की समुचित व्यवस्था न की जाएगी।" (जनजातिय विकास पर अध्ययन कर रहे दल की रिपोर्ट 1969)

कुछ क्षेत्रों में धन के अतिरिक्त वस्तुएँ उधार लेने का भी प्रचलन है यह प्रचलन विशेषतः त्रिपुरा तथा महाराष्ट्र में अधिक है। महाराष्ट्र में इस प्रथा को लेमोड के नाम से जाना जाता है इस प्रथा के अंतर्गत लोग बोने के समय बीज उधार लेते है। तथा फसल होने पर बीज की मात्रा का 3-4 गुणा अनाज वापस करते है। खाने के लिए लिया गया अनाज भी इसी प्रकार वापस किया जाता है। इस प्रकार फसल के समय उपज का मुख्य भाग या पूरी उपज साहूकारों को मिल जाती है। इसी से मिलते जुलती प्रथा त्रिपुरा में

Page No.

Scanned with CamScan

Date ___/___/___

भी स्थित है इसे दहान कहते है लेनदार पहले से ही सारी फसल का क्रय कर लेता है (खरीदना)

साहूकारों की भूमिका

जनजातीय लोगों को महाजनों के चंगुल से छोड़ाने में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों की असफलता के कारणों को समझने के लिए साहूकारों की भूमिका अध्ययन करना आवश्यक है।

परंपारिक साहूकारों की कार्य पद्धति जनजातिय लोगों के लिए बहुत आसान तथा सरल है क्योंकि ये साहूकार अधिकतर इन्ही जनजातियों के बीच ही रहते है ऋण की आवश्यकता पड़ने पर जनजातिय लोगों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ता तथा साहूकारों के द्वार इनके लिए सदैव खुले रहते है। साहूकार इन्हे बिना किसी शर्त के ऋण दे देता है क्योंकि अधिकतर इनके पास गिरवी रखने या सुरक्षा के रूप में देने के लिए कुछ नहीं होता है। अपनी आय तथा थोड़ी बहुत भूमि की सहायता से ऋण चुकाने का निश्चय इनके मन में होता है। मध्यप्रदेश के कुछ जनजातिय क्षेत्रों में यह प्रथा है कि औपचारिकताओं तथा कागजी कार्यवाही के नाम पर इन्हे एक सादे कागज पर अंगूठा लगाना रहता है जिससे ये लोग पढ नहीं सकते।

राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सहकारी ऋण समीतियों की तुलना उपरोक्त ऋण प्रणाली से की जाए तो सर्वप्रथम यह बात सामने आती है कि अधिक-तर समितियाँ जनजातिय बस्तियों से कुछ दूरी पर स्थित है। ऋण लेने वाले को तमाम उबाऊ औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ गारंटी लेने वालों को भी इन्ही स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऋण के लिए प्रार्थना पत्र देने तथा ऋण मिलने में अक्सर दो महीने तक लग जाते है

Scanned with CamScanner

Date ___/___/______

तथा छात्र अधिकारी रिश्वत भी माँगते है। इन सबके अतिरिक्त ये सहकारी समितियाँ केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही ऋण देती है। जबकि निर्धन एवं परेशान जनजातिय लोगों का जीवन-यापन के लिए, उपभोग के लिए तथा विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाजों को पूरा करने के लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। साहूकार किसी प्रकार की शर्त नहीं रखता या सभी उद्देश्यों के लिए ऋण देता है इस प्रकार साहूकार द्वारा व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि वह जनजातिय भाषा बोलता है, सम्पूर्ण परिवार के बारे में भली-भाँति जानता है तथा इन लोगों की उन स्थितियों से अवगत रहता है जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है।

Date 05/04/19

ऋणग्रस्तता के परिणाम

अधिकतर जनजातिय जनसंख्या अशिक्षित है जिसके कारण इन्हें पता नहीं रहता है कि साहूकार के खातों में क्या रकम की लेन-देन हुई। साहूकारों के इच्छा के अनुसार ये लोग अँगूठा लगाते हैं ~~अधि~~ जिससे हमेशा के लिए इनके भाग्य का निर्णय हो जाता है अधिकतर ऐसे निर्णय हो जाता है अधिकतर ऐसे ऋण के मामले मौखिक रूप से तय होते है जिसके कारण ये लोग न्यायालय में भी नहीं जा सकते है। इन मामलों में भी ऋण लेने वाले लोगों भी परेशान होते है। जिन मामलों के लिखा पढ़ी की गई है उन खातों में भी रूपए बढ़ा-चढ़ा कर लेन-देन का हिसाब रखा जाता है ये लोग यदि ग्राम पंचायत का सहारा ले तब भी कोई लाभ नहीं होता क्योंकि ग्राम पंचायत भी साहूकारों का ही पक्ष लेती है विभिन्न जनजातिय क्षेत्रों के अध्ययन से यह पता चलता है कि ऋणग्रस्तता के कारण बहुत से लोग बंधुआ मजदूर बन जाते है तथा उनकी भूमि भी चली जाती है ऐसी परिस्थितियों में ऋण लेने वाले निम्न परिणामों का शिकार होते हैं। :-

1. स्वतंत्रता की समाप्ति तथा उनकी श्रम शक्ति का साहूकारों द्वारा मन माना प्रयोग।

Scanned with CamScan

(5)

Date ___/___/______

II. भूमि का हस्तांतरण तथा ऋणदाता द्वारा अधिग्रहण ।
III. युवतियों की विकृत वैश्यावृत्ति ।
IV. यौवन बीमारियाँ ।

कई ऋण के बोझ से दबे यह ऋण जिन्हें साहूकारों या जमींदारों ने इन्हें बन्धुआ मजदूर बना दिया है। यह ऋणग्रस्तता से उन्हें अब जीवन में किसी प्रकार की आशा नहीं होती। जीवन की आर्थिक मूल्यों को उनके लिए अब कोई महत्व नहीं रह जाता है। जौनसार बाबर (उत्तर प्रदेश) की कोल्टा जनजाति का इन स्थितियों का ज्वलंत उदाहरण है।

कानून तथा उपचार के प्रयास

संविधान की 5वीं अनुसूची राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों में साहूकारों तथा ऋणदाताओं के व्यवसायों को जनजातीय क्षेत्रों में नियमित करने का अधिकार देती है। इस प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकारों ने विभिन्न नियमों अधिनियमों की संरचना की है ऋण से मुक्ति तथा ऋण बन्धन के उन्मूलन के नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा बनाये गए कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित है :—

I. आंध्र प्रदेश जनजातीय क्षेत्र साहूकार विनिमय 1963
II. संस्थागत ऋण बन्धन उन्मूलन 1964
III. असम साहूकार विनिमय साहूकार 1968
IV. बिहार महाजन अधिनियम 1939
V. मुम्बई कृषि ऋणदाता सहायता अधिनियम 1947
VI. केरल 1958
VII. मध्य-प्रदेश – अनुसूचित जनजाति ऋण सहायता अधिनियम 1966
VIII. मद्रास ऋणग्रस्तता कृषक अधिनियम 1955
IX. मैसूर कृषि व्यवसायी अधिनियम 1961
X. उड़ीसा – साहूकार विनिमय 1950
XI. राजस्थान सगरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961

विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन से यह पता

Scanned with CamScanner

Date ___/___/___

चलता है कि इन अधिनियमों के बाद भी जनजातीयों का शोषण हो रहा है। नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा साहूकार अपने ऊपर लगाये नियंत्रणों पर बहुत कम ध्यान देते है। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट के साथ-साथ योजना अध्ययन दल की रिपोर्ट भी उपर्युक्त पुष्टि करती इन स्थितियों के कारण निम्नलिखित है :—

I. बन्धुआ मजदूरी की प्रथा से जनजातियों को बचाने के लिए 5वीं अनुसूची में दिये गए सुरक्षात्मक प्रावधानों का राज्य सरकारों ने समुचित प्रयोग नहीं किया साहूकारों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार दण्ड प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करने में असमर्थ रही है।

II. सुरक्षात्मक प्रावधानों के क्रियाशीलता तथा मुक्ति दिलाने की इच्छा तथा समापन में कमी के कारण आज भी साहूकारों का इन जनजातियों का शोषण हो रहा है।

ऋणग्रस्तता दूर करने की उपाय

I. संविधान के 5वीं अनुसूची में साहूकारों के विरुद्ध जनजातियों के सुरक्षात्मक उपबंधकों दृढ़ता से लागू करना।

II. प्रचलित कानूनों की समीक्षा और उसकी कमीयों को दूर करने के उपाय।

III. संस्थागत स्रोतों से जनजातियों की ऋण एवं सबकत की समुचित व्यवस्था कम दर पर की जानी चाहिए।

IV. सरकारी समीतियों एवं बैंको के द्वारा गैर उत्पादक उद्देश्यों के लिए भी उचित सूद पर ऋण व्यवस्था होनी चाहिए।

V. जनवितरण प्रणाली को जनजातिय क्षेत्र में मजबूत किया जाना चाहिए।

VI. जनजातियों के बीच समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करानी चाहिए।

VII. शराब के सेवन से जनजातियों को दूर करने के लिए

Page No.

Scanned with CamScan

Date ___/___/_____

जन जागरण की आवश्यकता है और इसका प्रचार विभिन्न माध्यमों में किया जाना चाहिए।

VIII. जनजातियों के कृषि उत्पादन एवं वन्य उत्पादन का उचित खरीद मूल्य का निर्धारण भी होनी चाहिए।

IX. जनजातियों के शोषण करने वालों पर सरकार पर अंकुश लगाकर उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

X. स्वास्थ्य के प्रति जनजातियों को जागरूक बनाई जाने की आवश्यकता है।

XI. जनजातियों को आधुनिक फैशन के दुष परिणामों से अवगत कराकर उन्हें अपना परंपरागत रूप अपनाना चाहिए।

XII. सुरक्षात्मक प्रावधानों द्वारा बन्धुआ मजदूरी को और साहूकारों द्वारा जनजाति के

सुदृढ़ नीति अपनानी चाहिए और और अधिकारियों को जनजातिय समस्याओं को मानवीय दृष्टि से अपनानी चाहिए।

को समाप्त करने के लिए दोहरी नीति का अनुसरण करना चाहिए एक ओर साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए दीर्घकालिन मुक्ति दिलानी चाहिए और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तरण सक्षम बनना चाहिए।